सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 28, बुधवार, *शाके* 1941–मार्च 18, 2020 *Phalguna 28, Wednesday, Saka 1941–March 18, 2020*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 28, 2020

संख्या प.2(7)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 4)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकारी" से पूर्व, अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," अंत:स्थापित की जायेगी।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है, जमाओं, उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय के मूल्य को, राज्य में के आवर्त के मूल्य अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।";

(ii) उप-धारा (2) में,-

(क) अंग्रेजी पाठ में खण्ड (घ) के अन्त में आये विद्यमान शब्द "and" को हटाया जायेगा;

(ख) खण्ड (ङ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; और" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है, न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:";

(iii) विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन कर संदत्त करने के लिए विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं है, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं रहा है, उसके द्वारा धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन संदेय कर के बदले में, ऐसी दर पर, जो विहित की जाये, किन्तु जो राज्य में के आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, संगणित कर की रकम संदत्त करने का विकल्प चुन सकेगा, यदि वह-

(क) किन्हीं ऐसे माल या सेवाओं, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं हैं, के किसी प्रदाय में नहीं लगा है;

(ख) माल या सेवाओं के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय में नहीं लगा है;

(ग) किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं के ऐसे किसी प्रदाय में नहीं लगा है, जिसके लिए धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का प्रदायकर्ता नहीं है, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित की जायें; और

(ङ) कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति नहीं है:

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के पास आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) के अधीन जारी एक ही स्थायी खाता संख्यांक है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन कर संदत्त करने के लिए विकल्प नहीं चुनते हैं।";

(iv) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) के अधीन", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2क) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2क)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vi) उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2क) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(vii) विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण 1.**- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदत्त करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए उसके संकलित आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "संकलित आवर्त" में ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से उस तारीख तक, जब वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी हो जाता है, किये गये प्रदायों का मूल्य सम्मिलित होगा किन्तु इसमें, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है, जमाओं, उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "राज्य में के आवर्त" में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:-

(i) किसी वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से उस तारीख तक, जब ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी हो जाता है, के प्रदाय का मूल्य; और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है, जमाओं, उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य।"।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में,-

(i) द्वितीय परन्तुक के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे प्रदायकर्ता के मामले में जो अनन्य रूप से माल के प्रदाय में लगा हुआ है, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जो अधिसूचित की जायें, संकलित आवर्त को बीस लाख रुपये से ऐसी रकम तक, जो चालीस लाख रुपये से अधिक न हो, बढ़ा सकेगी।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को अनन्य रूप से माल के प्रदाय में लगा हुआ माना जायेगा चाहे वह, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या

बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है, जमाओं, उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय में लगा हुआ हो।"।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 में विद्यमान उप-धारा (6) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (7) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धाराएं अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करायेगा या उसके कब्जे का सबूत देगा:

परन्तु यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाये, पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी:

परन्तु यह और कि आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन कराने या उसके कब्जे का सबूत देने या पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जायेगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास कोई रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचना की तारीख से ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी हेतु पात्र होने के लिए ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करायेगा या उसके कब्जे का सबूत देगा:

परन्तु यदि किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यष्टि को ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

(6ग) अधिसूचना की तारीख से ही, किसी व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी हेतु पात्र होने के लिए ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, भागीदारों, संगम की प्रबंध समिति के सदस्यों, न्यासियों के बोर्ड, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग के आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करायेगा या उसके कब्जे का सबूत देगा:

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है वहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

(6घ) उप-धारा (6क) या उप-धारा (6ख) या उप-धारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या राज्य के ऐसे भाग पर लागू नहीं होंगे, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

स्पष्टीकरण.- उप-धारा (6क), (6ख), (6ग) और (6घ) के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "आधार संख्यांक" का वही अर्थ होगा, जो उसे आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (क) में समनुदेशित किया गया है।"।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 31क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 31 के पश्चात् और विद्यमान धारा 32 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**31क. प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा.-** सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का ऐसा वर्ग विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा किये गये माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रानिक संदाय का विहित तरीका उपलब्ध करायेगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किये जायें, अध्यधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प देगा।"।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदाय, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी देगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए, राज्य में के आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(7) उप-धारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप-धारा (1) या उप-धारा (3) या उप-धारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, के अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा:

परन्तु उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, देय कर सरकार को संदत्त करेगा:

परन्तु यह और कि उप-धारा (2) के अधीन विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य में के आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, देय कर सरकार को संदत्त करेगा।"।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।"।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में, विद्यमान उप-धारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कॉमन पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी अन्य रकम का, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर के लिए इलेक्ट्रानिक नकद खाते में, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, अंतरण कर सकेगा और ऐसा अंतरण इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय समझा जायेगा।

(11) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी रकम को इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उप-धारा (1) में यथा उपबंधित उक्त खाते में जमा किया गया समझा जायेगा।"।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्, किसी कर कालावधि के दौरान किये गये प्रदायों के संबंध में उक्त कालावधि के लिए दी गयी विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी उक्त कालावधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के

अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् दी जाती है, कर के उस भाग पर, जिसका संदाय इलेक्ट्रानिक नकद खाते से निकासी द्वारा किया जाता है, उद्गृहीत किया जायेगा।"।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

(i) उप-धारा (4) में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"परन्तु आयुक्त, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।"; और

(ii) उप-धारा (5) में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।"।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 53क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 53 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 11 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात:-

"**53क. कतिपय रकम का अंतरण.-** जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन या माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां सरकार, केन्द्रीय कर लेखे या एकीकृत कर लेखे या उपकर लेखे में, इलेक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गयी रकम के बराबर रकम, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, अंतरित करेगी।"।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 में विद्यमान उप-धारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"(8क) जहां केन्द्रीय सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय को संवितरित कर दिया है, वहां सरकार इस प्रकार प्रतिदत्त रकम के बराबर रकम केन्द्रीय सरकार को अंतरित करेगी।"।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 में,-

(i) खण्ड (क) में-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "द्वारा, किसी आवेदक को" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अंत:स्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 100 की उप-धारा (1)" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में माल या सेवाओं" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग" अंत:स्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (ङ) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(च) "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।"।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 101क का जोड़ा जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 101 के पश्चात् और विद्यमान धारा 102 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"**101क. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण होना.-** इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जायेगा।"।

16. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 102 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 102 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 98 या धारा 101" के स्थान पर अभिव्यक्ति "क्रमश: धारा 98 या धारा 101 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "या अपीलार्थी द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति ", अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा " प्रतिस्थापित की जायेगी।

17. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 103 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 103 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) इस अध्याय के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा-

(क) ऐसे आवेदकों पर, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ख की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्णय की वांछा की थी और ऐसे समस्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों पर, जिनके पास आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी खाता संख्यांक है;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों, और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनके पास आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी खाता संख्यांक है, के संबंध में संबंधित अधिकारियों और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों पर।";

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) और उप-धारा (1क)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 104 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 101 की उप-धारा (1) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 101 की उप-धारा (1) के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

19. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 105 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 105 में,-

(i) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां.-**";

(ii) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 106 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 106 में,-

(i) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया.-**"; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 171 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 171 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) जहां उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, उक्त उप-धारा के अधीन यथा अपेक्षित परीक्षण करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उप-धारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गयी रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति संदत्त करने का दायी होगा:

परन्तु यदि, प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जाने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर मुनाफाखोरी की गयी रकम जमा करा दी जाती है तो कोई भी शास्ति उद्गृहणीय नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "मुनाफाखोरी" से वह रकम अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे पर कर की दर में कमी का फायदा माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित की गयी है।"।

22. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 28, 2020

No. F. 2(7)Vidhi/2/2020.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 4):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2020
(Act No. 4 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 27th day of February, 2020)

An
Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (4) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing expression "the Appellate Authority for Advance Ruling," and before the existing expression "the Appellate Authority", the expression "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted.

3. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 10 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), after the existing second proviso, the following Explanation shall be added, namely:-

"**Explanation.-** For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in State.";

(ii) in sub-section (2),-

(a) in clause (d), the existing word ''and'' occurring at the end shall be deleted;

(b) in clause (e), for the existing punctuation mark ":" occurring at the end, the expression "; and" shall be substituted;

(c) after clause (e) so amended, the following clause shall be added, namely:-

"(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";

(iii) after the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2),whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent of the turnover in State, if he is not-

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.";

(iv) in sub-section (3), for the existing expression "under sub-section (1)" wherever occurring, the expression "under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted;

(v) in sub-section (4), for the existing expression "sub-section (1)", the expression "sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted;

(vi) in sub-section (5), for the existing expression "under sub-section (1)", the expression "under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted; and

(vii) after the existing sub-section (5), the following Explanations shall be added, namely:-

"Explanation 1.-For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.-For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State" shall not include the value of following supplies, namely:-

(i) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and

(ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

4. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 22 of the principal Act,-

(i) in second proviso, for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the second proviso so amended, the following shall be added, namely:-

"Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.-For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

5. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 25 of the principal Act, after the existing sub-section (6) and before the existing sub-section (7), the following new sub-sections shall be inserted, namely:-

"(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or offer alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons or part of the State, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.- For the purposes of sub-sections 6(A), 6(B), 6(C) and 6(D), the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act No. 18 of 2016).".

6. Insertion of new section 31A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 31 and before the existing section 32 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**31A. Facility of digital payment to recipient.-** The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

7. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 39 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-sections (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

‘‘(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.’’; and

(ii) for the existing sub-section (7), the following shall be substituted, namely:-

“(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.”.

8. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- Insub-section (1) of section 44 of the principal Act, for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

9. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 49 of the principal Act, after the existing sub-section (9), the following new sub-sections shall be added, namely:-

"(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, Central tax, State tax or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).".

10. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- Insub-section (1) of section 50 of the principal Act, for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.".

11. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 52 of the principal Act,-

(i) in sub-section (4),for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner."; and

(ii) in sub-section (5),for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

12. Insertion of new section 53A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 53 and before the existing Chapter XI of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**53A. Transfer of certain amount.-** Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act or under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, the Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount

transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.".

13. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 54 of the principal Act, after the existing sub-section (8), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government."

14. Amendment of section 95, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 95 of the principal Act,-

(i) in clause (a)-

(a) after the existing expression "Appellate Authority" and before the existing expression "to an applicant", the expression "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(b) after the existing expression "of section 100" and before the existing expression ",in relation to", the expression "or of section 101C of the Central Goods and Services Tax Act" shall be inserted; and

(ii) in clause (e),for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(f) "National Appellate Authority" means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A.".

15. Addition of new section 101A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 101 and before the existing section 102 of the principal Act, the following new section shall be added, namely:-

"**101A. National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under Central Goods and Services Tax Act to be the National Appellate Authority under this Act.-** Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.".

16. Amendment of section 102, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 102 of the principal Act,-

(i) for the existing expression "Appellate Authority" wherever occurring, the expression "Appellate Authority or the National Appellate Authority" shall be substituted;

(ii) after the existing expression "or section 101" and before the expression ", so as to rectify", the expression "or section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, respectively" shall be inserted; and

(iii) for the existing expression "or the appellant", wherever occurring, the expression ", appellant, the Authority or the Appellate Authority" shall be substituted.

17. Amendment of section 103, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 103 of the principal Act,-

(i) after the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(1A) The Advance ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on-

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of section 101Bof the Central Goods and Services Tax Act and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961);

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961(Central Act No. 43 of 1961).";

(ii) in sub-section (2), for the existing expression "sub-section (1)", the expression "sub-section (1) and sub-section (1A)" shall be substituted.

18. Amendment of section 104, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In sub-section (1) of section 104 of the principal Act,-

(i) for the existing expression "the Authority or the Appellate Authority", the expression "the Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "section 101", the expression "section 101 or under section 101Cof the Central Goods and Services Tax Act" shall be substituted.

19. Amendment of section 105, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 105 of the principal Act,-

(i) for the existing heading, the following shall be substituted, namely:-

"**Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.-**";

(ii) in sub-section (1), for the existing expression "The Authority or the Appellate Authority", the expression "The Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority" shall be substituted; and

(iii) in sub-section (2), for the existing expression "Authority or the Appellate Authority" wherever occurring, the expression "Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority" shall be substituted.

20. Amendment of section 106, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 106 of the principal Act,-

(i) for the existing heading, the following shall be substituted, namely:-

"**Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.-**"; and

(ii) for the existing expression "Appellate Authority", the expression "Appellate Authority or the National Appellate Authority" shall be substituted.

21. Amendment of section 171, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 171 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has

profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.-For the purposes of this sub-section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.".

22. Repeal and Savings.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 5 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।